

16.12.21 पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपाधित व्यक्ति पोसाहव प्रशासन गोब के संग अशिक्षित के साथ पत्रावली दिनांक 8.2.22 को पेश हो / म.दि

8-2-2022 पत्रावली पेश। वादी वकील उपाधित। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 08-3-2022 को पेश हो। श्रीमान पी के हादव काय अल सपवान के नाम है। म.दि

08-3-2022 पत्रावली पेश। वादी वकील उपाधित। श्रीमान पी के हादव काय अल सपवान के नाम है। पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो। म.दि

28-3-2022 पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपाधित। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 29-4-2022 को पेश हो। म.दि

23-4-22 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपाधित पत्रावली वाले जवाब में होने से वादी/प्रतिवादी की आपसी सहमती के प्रकार में निम्नलिखित नामों के साथ प्रशासन गोब के संग प्रत्येक के साथ के दिनांक 1-6-22 को पेश हो। म.दि

1-6-22 पत्रावली पेश हुई कोलेज के साथ नवागोब में वादी/प्रतिवादी अशिक्षित रहने से आपसी सहमती से टाकीनामा की कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली वाले जवाब अगामी दिनांक 4-7-22 को पेश हो। म.दि

4-7-22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपाधित आर। अधिवक्ता वादी ने न्यायालय हाजा से जरिए नोट प्रेस हस्तगत प्रकरण में आगे की कार्यवाही ना चाहकर प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज होप फरमार जाने की इस्तदुआ की।

Not p...  
9

विद्वान अधिवक्ता वादी के इक्त निवेदन पर पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार ही गंवर से कम दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बारावाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज)

